

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 84]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 16 फरवरी 2016—माघ 27, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2016

क्र. एफ-ए-3-3-2016-1-पांच (14).—मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद और विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज (फिक्की) लेडीज आर्गेनाइजेशन, चेप्टर इंदौर द्वारा दिनांक 14 फरवरी 2016 को धीरूभाई अंबानी ऑडिटोरियम, डेली कॉलेज परिसर इन्दौर में आयोजित किए गए नाट्य मंचन को उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (3) के अधीन मनोरंजन कर के भुगतान से छूट प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2016

क्र. एफ-ए-3-3-2016-1-पांच (14).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-3-2016-1-पांच (14) दिनांक 16 फरवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 16th February 2016

No. F-A-3-3-2016-1-V-(14).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the Madhya Pradesh Vilasita Manoranjan, Amod Evam Vigyapan kar Adhinyam, 2011 (No. 11 of 2011), the State Government, hereby, exempts the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) Ladies Organisation, Chapter Indore from payment of tax under the sub clause (iii) of clause (b) of sub section (1) of section 6 of the said Adhinyam in respect of theatrical Play concert organized at Dhirubhai Ambani Auditorium, Daly College premises, Indore on dated 14th February 2016.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy Secy.